



न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
पीठासीन अधिकारी :- हरिसिंह लम्बोरा, आर.ए.एस
राजस्व वाद संख्या :- 71/2012

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. कानाराम पुत्र बचनाराम		1. भंवरलाल पुत्र श्री बीरमराम
2. इन्द्रलाल पुत्र बंशीलाल		2. प्रकाश पुत्र श्री पुखराज
3. पानीदेवी पत्नी बंशीलाल		3. श्रीकिशन पुत्र श्री पुखराज
4. छिनुदेवी पुत्री बंशीलाल		4. अनिल पुत्र श्री पुखराज
5. निर्मलादेवी पुत्री बंशीलाल		5. लीला पुत्री पुखराज
6. सोहनलाल पुत्र श्री भूराराम		6. हुलासीदेवी पत्नी पुखराज
7. ओमप्रकाश पुत्र भूराराम		सभी जातियान दिशान्तरी
8. दिलीपचन्द पुत्र श्री माणकराम		निवासीगण हरियाढाणा
9. कान्तिलाल पुत्र श्री माणकराम		तहसील बिलाड़ा,
10. डायालाल पुत्र श्री माणकराम		जिला जोधपुर
11. अमृतलाल पुत्र माणकराम		7. अमरादेवी पत्नी श्री महेन्द्र जाति
12. गजिया पत्नी माणकराम		जाट निवासी बोरुन्दा तहसील
13. भंवरलाल पुत्र श्री भोजाराम		तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर
14. भगवती पुत्री भोजाराम		8. राजस्थान सरकार जरिये
15. बुधादेवी पुत्री भोजाराम		तहसीलदार बिलाड़ा
16. पप्पूदेवी पुत्रिया भोजाराम		
17. चान्दादेवी पुत्री भोजाराम सभी		
जातियान दिशान्तरी, निवासीगण		
हरियाढाणा, तहसील बिलाड़ा,		
जिला जोधपुर		

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

निर्णय

दिनांक :- 24.05.2017

पत्रावली आज बमुकाम हरियाढाणा राजस्व लोक अदालत शिविर में प्रस्तुत हुई। उपरोक्त राजस्व वाद में अधिवक्ता वादी को प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के नोटिस प्रस्तुत करने हेतु कई अवसर दिये गये फिर भी वकील वादी ने आज दिन तक कोई पालना नहीं की है वकील वादी करीब आठ पेशियो से प्रतिवादीगण के सम्मन पेश नहीं कर रहे हैं। इस कारण वादी का दावा अन्तर्गत आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के अन्तर्गत दावा खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसलशुमार व नम्बर कम होकर दाखिल दफ़तर हो। निर्णय आज दिनांक 24.05.2017 को मजमे आम में सुनाया गया।

(हरिसिंह लम्बोरा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा